

सं.: ए-43011/46/2017-आरटीआई सेल

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 16.11.2021

कार्यालय आदेश

विषय:- आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) अधिकारी नामित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के दिनांक 15.11.2010 के पत्र संख्या सीआईसी/एटी/डी/10/000111 में निहित निर्देशों के अनुपालन में, श्री मृत्युंजय झा, उप सचिव को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश होने तक ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) अधिकारी (टीओ) के रूप में नामित किया जाता है।

2. यह सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुनील कुमार महतो)

अवर सचिव (प्रशासन)

प्रति:-

मृत्युंजय झा, उप सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी)

प्रतिलिपि:-

1. श्री क्षितिज मोहन, निदेशक (आरटीआई), डीईपीडब्ल्यूडी
2. श्री ए.के. मंडल, अवर सचिव (आरटीआई), डीईपीडब्ल्यूडी